

दिनांक 26-10-21
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहय विराम
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक को पेश हो।
26-10-21

दिनांक 26-10-21
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहय बाहर पधारे हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-12-21
को पेश हो।

प्रार्थी
रोडर

Not Press

1/12/2021

दिनांक 01-12-2021

1/12/2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नोट प्रेस किया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अत. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15-07-2021 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महदा (दौसा)